न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 137 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. श्रीमती ढेलकंवर पत्नी चंदनसिंह **बनाम** 1.मोहम्मद पुत्र माधा वगै. कायम मुकाम गुलाबसिंह वगै.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 138 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. श्रीमती ढेलकंवर पत्नी चंदनसिंह **बनाम** 1.मोहम्मद पुत्र माधा वगै. कायम मुकाम गुलाबसिंह वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री प्रेमाराम सोनी प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 संख्या 06 की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 14.11.2019

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में जो वाद पेश किया उस वाद में वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 6 रकबा 173.08 बीघा में अपीलकर्तागण का संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा है तथा उतरदाता संख्या 01 का केवल 1/8 हिस्सा ही था जैसाकि खतौनी बंदोबस्त से साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना 3/4 हिस्सा भूमि की भूमि अपीलकर्तागण का होने से उनकी सम्पूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के खाते में जरिये निर्णय दर्ज की गई। उतरदाता संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को जानबूझकर पक्षकार रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलांटगण पर्चा लगान के जागीरदार थे। खसरा बंदोबस्त में कॉलम संख्या 07 में खुदकाश्त 3/4 दर्ज है। खतौनी बंदोबस्त में भी 3/4 चंदनसिंह के नाम दर्ज है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से मिलीभगत कर अपीलाधीन निर्णय पारित करवाया गया। खसरा संख्या 06 का मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। सेटलमेंट के समय भी अपीलांटगण खातेदार नहीं थे। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलांटगण के सेटलमेंट के समय काश्तकारी नहीं थे वो जागीरदार के रूप में दर्ज थे। हमने हमारे हक के हिसाब से डिक्री करवाई है। गिरदावरी में अपीलांटगण का नाम दर्ज नहीं है। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी में यदि कोई अपना खातेदारी हक मानते तो संबंधित न्यायालय सहायक कलेक्टर में चाराजोही करते। अपीलांटगण दूसरे के कंधे बंदूक रखकर न्याय पाने की चेष्टा कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत एवं प्रक्रिया के अनुसार किया है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व जमीन जागीरदारी रही, उस वक्त भूमिपति तत्कालीन जागीरदार होते थे जो सेटलमेंट व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से उक्त कॉलम संख्या 3 में भूमिपति राज्य सरकार होने से उसी समय से ही भूमिपति राज्य सरकार दर्ज होता आ रहा है। वास्तव में जागीरदारों का अंकन एवं रिकार्डेड अधिकार अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने के दिन से ही समाप्त हो गया था। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

RRT 2018(2) Page 1112

RRT 2015(1) Page 696

RRD 2005 Page 305

RRD 2006 Page 379

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 6 रकबा 173.08 बीघा भूमि पर जागीरदार दर्ज होने से अपना हक जताकर यह अपील पेश की गई। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात एवं साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। वक्त सेटलमेंट अपीलांटगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जागीरदार के रूप में दर्ज है। सेटलमेंट के समय भी अपीलांटगण काश्तकारी के रूप में दर्ज नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को लेकर मूल दावा पेश किया जो विचाराधीन है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना दावा साबित करते है तो वे अपना हक प्राप्त कर सकते है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किये है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांटगण का हित प्रभावित होता हो।

इस कारण अपीलांटगण किसी भी रूप में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से सीधा प्रभावित/हितबद्ध या पीड़त व्यक्ति नहीं है लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

चूंकि अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी का आवेदन खारिज किया जा चुका है इसलिए उसे अपील प्रस्तुत की अनुमति नहीं है। अपील ग्रहण योग्य नहीं है लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 46/2006 वादी मोहम्मद बनाम अलीयां में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2008, 27.10.2010 व 11.04.2011 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner